



क्रमांक: एफ-12 (2)/एन.आर.एच.एम./आयुष/08/5816

दिनांक: 15/12/09

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त जिले।

विषय :- एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत व्यक्तिगत अनुबंध हेतु होम्यो. चिकित्सकों को जिला आवंटन के क्रम में।

संदर्भ :- निदेशालय का पत्र क्रमांक एफ-12 (2)/एन.आर.एच.एम./आयुष/2008/3546  
दिनांक-19.8.09

संदर्भान्तर्गत विषय में लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 500 आयुष चिकित्सकों के चयन हेतु जारी विज्ञापित दिनांक 22.09.08 के क्रम में आपके जिले में दिनांक 30.01.09 को काउंसलिंग कर होम्यो. चिकित्सकों के आवेदन मय वरीयता सूची के भिजवाये गये थे। जिलों से प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर राज्य स्तरीय वरीयता सूची का निर्धारण कर योग्य होम्यो. चिकित्सकों को संलग्न सूची के अनुसार जिला आवंटन किया जाता है। आपके जिले हेतु चयनित होम्यो. चिकित्सकों के मूल आवेदन जरिये वाहक इस कार्यालय से नियुक्ति की कार्यवाही हेतु दिनांक 16.12.09 तक आवश्यक रूप से प्राप्त किये जाने हैं। चयनित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत अनुबंध हेतु आप द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर बुलावा पत्र भिजवाया जाकर दिनांक 24.12.09 तक आवश्यक रूप से प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्ति एवं कार्यग्रहण करवाया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की उपस्थिति लेते समय नियुक्ति से पूर्व निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. व्यक्तिगत अनुबंध चयनित अभ्यर्थी से दिनांक 31.03.2010 तक के लिए किया जाना है।
2. नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त छायाप्रतियों का मिलान मूल दस्तावेज से करवाया जावेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो उसकी उपस्थिति नहीं ली जावे।
3. अभ्यर्थी के योग्यता संबंधी सभी मूल प्रमाण पत्र लिये जाकर उनका सत्यापन संबंधित संस्था से करवाये जाने के पश्चात् ही उन्हें अभ्यर्थी को वापस लौटाये जावेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूट रचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे साथ ही दोषी के विरुद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही भी की जावेगी।
4. निर्धारित दिनांक 24.12.09 तक उपस्थिति नहीं देने वाले अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
5. नियुक्ति से पूर्व राज्य के इंडियन मेडिसिन बोर्ड/होम्योपैथी बोर्ड से पंजीयन होने का नवीनतम प्रमाण पत्र अभ्यर्थी से लिया जावेगा।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा छः माह से पुराना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे नवीनीकृत करवाने के पश्चात् ही उपस्थिति ली जावे। महिला अभ्यर्थी होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही जारी किया हुआ होना चाहिए।
7. विकलांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच की जावे।
8. दिनांक 15.10.08 से पूर्व अनिवार्य इन्टर्नशिप पूरी होने का प्रमाण पत्र लिया जावे।
9. अभ्यर्थी से संतान संबंधी, विवाह तथा दहेज का निर्धारित शपथ पत्र एवं एनआरएचएम में पूर्व से पदस्थापित नहीं होने का शपथ पत्र भी नियुक्ति से पूर्व लिया जावे।

10. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति से पूर्व दो सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
11. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों से मिलान एवं सत्यापन होने के पश्चात् आपके द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र आवंटित कर नियुक्ति पत्र जारी किया जावेगा।
12. आयुष चिकित्सकों के पदस्थापन में उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नहीं किया जावे जहां कि पूर्व से ही आयुर्वेद विभाग द्वारा संचालित औषधालय हैं, अर्थात् एक गांव में एक ही चिकित्सा पद्धति के दो चिकित्सक पदस्थापित नहीं हो पावें।
13. पदस्थापन में 24x7 वाले स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिन केन्द्रों पर आयुर्वेद विभाग द्वारा आयुष विंग का निर्माण करवाया गया है, उन केन्द्रों को प्राथमिकता दी जावे। साथ ही जिन प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का पद रिक्त है, उन पर भी पदस्थापन की प्राथमिकता रखी जावे।
14. नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मुख्यालय जयपुर से पूर्व में भिजवाये गये अनुबंध पत्र के अनुसार दिनांक 24.12.09 तक जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से अनुबंध किया जावेगा।
15. नियुक्ति की अंतिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना मुख्यालय को तत्काल भिजवावें।

(भवानी सिंह देथा)  
 मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम

क्रमांक: एफ-12 (2)/एन.आर.एच.एम./आयुष/08/ 5816

दिनांक: 15.12.09

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., मुख्यालय, जयपुर।
5. संबंधित जिला कलेक्टर (समस्त जिले)
6. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर।
7. संयुक्त निदेशक (समस्त जोन)
8. जिला आयुर्वेद अधिकारी, समस्त जिले।
9. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वैबसाईट पर शीघ्र जारी करें।
10. रक्षित पत्रावली।

मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम

**Selected Merit List of General - Male & Female (Homeopathy Doctors)**

S.No	APPLICANT NAME	NAME OF FATHER/HUSBAND	CATEGORY	Sex (M/F)	Percentage	Alloted District
1	2	3	4	5	6	7
1	NEHA AGARWAL	KAILASH CHAND GUPTA	GEN	F	61.957	TONK
2	ANIL MIGLANI	JAGDISH LAL MIGLANI	GEN	M	61.872	BIKANER
3	MUKUL SHARMA	RAMESH CHAND SHARMA	GEN	M	61.696	SIKAR
4	NONITA BHATIA	TRILOK NATH BHATIA	GEN	F	61.674	KOTA
5	SHIKHA JAIN	AVNISH KUMAR JAIN	Gen	F	61.596	BANSWARA
6	RAKESH BHATT	PRABHULAL BHATT	Gen	M	61.591	DUNGARPUR
7	SEEMA SHARMA	RAMESH CHAND SHARMA	GEN	F	61.457	AJMER
8	ARJUN SINGH RAJPUROHIT	JABAR SINGH	GEN	M	61.447	JODHPUR
9	DEEPALI SHARMA	PANKAJ AGRAWAL	GEN	F	61.370	BIKANER
10	PRIYANKA KOTHARI	W/O ARUN KOTHARI	GEN	F	61.362	RAJSAMAND
11	SHELESH CHUDHARY	SHER SINGH	Gen	F	61.362	CHTTORGARH
12	VANIJA GOUTAM	PREMPRAKSAH	GEN	F	61.326	PRATAPGARH
13	SHAVETA GALHOTRA	SRI RAM GALHOTRA	GEN	F	61.298	PRATAPGARH

**Selected Merit List of OBC - Male & Female (Homeopathy Doctors)**

S.No	APPLICANT NAME	NAME OF FATHER/HUSBAND	CATEGORY	Sex (M/F)	Percentage	Alloted District
1	TEENA PURBIYA	JAGDISH	OBC	F	57.574	PRATAPGARH
2	SHARAVAN KUMAR	SUNI LAL PHALSANIYA	OBC	M	57.574	PRATAPGARH

13